राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली

क्रमंक / एफ.17(4)( ) न्याय / 2005 / 5167 दिनांक : 21 सितम्बर, 2006

आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक / सम / 7070–7108 दिनांक 27.10.2005 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की उपधारा 1 व 2 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में आंशिक परिवर्तन करते हुए जन साधारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी किये जाते हैं। जो तुरन्त प्रभावित होंगे। :

क्र. सं.	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपील अधिकारी
1.	जिला कलेक्ट्रेट, पाली	अति. जिला मजिस्ट्रेट, पाली लोक सूचना अधिकारी, पाली	जिला कलेक्टर पाली
2.	उपखण्ड अधिकारी के मुख्यालय पर स्थित उपखण्ड व तहसील कार्यालय (पाली / सोजत / जैतारण बाली / सुमेरपुर / देसूरी)	उपखण्ड अधिकारी, पाली / बाली / सुमेरपुर / देसूरी / सोजत / जैतारण / सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला कलेक्टर, पाली
3.	उपखण्ड अधिकारी के मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य तहसील कार्यालय (रोहट / मा.जं. / रायपुर)	तहसीलदार, रोहट / मा.जं. / रायपुर / सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला कलेक्टर, पाली

उपरोक्त अधिनियम 15 जून 2005 से प्रभावशील हो गये हैं। इसके प्रभाव में आने से जन सामान्य द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। जिनको निर्धारित समयावधि में निस्तारित किया जाना आवश्यक होगा। उक्त अधिनियम के प्रावधानों की नियत समयावधि में संबंधित लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान हैं।

अतः उक्त लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक स्तर पर अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विती सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रत्येक त्रैमास की सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे।

(छगनलाल श्रीमाली)
जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पाली (राजस्थान)

क्रमंक / सम / 5168–5206 दिनांक : 21 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संभागीय आयुक्त जोधपुर
3. उपनिबन्धक(प्रशासन), राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
4. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को पांच अतिरिक्त प्रतियों में गजट प्रकाशन हेतु प्रेषित।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, पाली
6. प्रभारी अधिकारी, ...शाखा कलेक्ट्रेट, पाली
7. उपखण्ड अधिकारी, ...(जिला पाली)
8. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी पाली को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं है कि इसका स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करावें।
9. तहसीलदार, ...(जिला पाली)
10. कार्यालय अधीक्षक, कलेक्ट्रेट, पाली
11. निजी सहायक जिला मजिस्ट्रेट / अति. जिला मजिस्ट्रेट, पाली
12. रक्षित पत्रावली

जिला मजिस्ट्रेट, पाली